न्यायायल राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 15/2012

अपीलाण्ट
ओमप्रकाश व्यास पुत्र स्व0
मदनलाल व्यास, जाति ब्राहम्ण
निवासी आबूपर्वत जिला सिरोही

बनाम रेस्पोडेन्ट

1. भारत सरकार जरिये जूनियत इंजीनियर, सी0पी0डब्ल्यू0डी0, आबूपर्वत जिला सिरोही
2. श्रीमति शान्ता पाटनी पुत्री मदनलाल व्यास जाति ब्राहम्ण निवासी आबूपर्वत जिला सिरोही

राजस्व अपील संख्या 17/2014

अपीलाण्ट
श्रीमति शान्ता पाटनी पुत्री
मदनलाल व्यास जाति ब्राहम्ण
निवासी आबूपर्वत जिला सिरोही

बनाम रेस्पोडेन्ट

1. भारत सरकार जरिये जूनियत इंजीनियर, सी0पी0डब्ल्यू0डी0, आबूपर्वत जिला सिरोही
2. ओमप्रकाश व्यास पुत्र स्व0 मदनलाल व्यास, जाति ब्राहम्ण निवासी आबूपर्वत जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री राजेन्द्र पुरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ओमप्रकाश
श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट शांता पाटनी
श्री दिनेश राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक : 29.6.2018

———0———

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/1983 (45/1997) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2008 को अपास्त कराने का निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। चूंकि दोनों ही अपीले समान प्रकरण को लेकर समान पक्षकारान् के मध्य विचारित होने के कारण अपीलों को समेकित किया जाकर एक साथ निर्णय किया जा रहा है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट के पिता मदनलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट्स को स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के परे जाते हुए तनकीयात कायम की गई तथा विधि विरूद्ध रूप से उन तनकियात को विनिश्चित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को मात्र यह देखना था कि जेर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी की है अथवा नही तथा वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कोई प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं किया। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये वादी का वाद खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन दस्तावेजात् का अपने निर्णय में विवेचन किया है, जो साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं थे। ग्राम देलवाडा के खसरा नम्बर 21, 22, 23, 23/494 व 23/495 की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 21 में हमारे पिलर तोड कर आगे लगा दिए तथा नोटिस दिया, उसके आधार पर अपीलाण्ट के पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, किन्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से तनकीयात विनिश्चित करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया। तनकी संख्या 1 के विनिश्चिय में अधीनस्थ न्यायालय ने वादस्थ भूमि को आबादी होना माना है। यदि उक्त भूमि आबादी है, तो इस भूमि के सम्बन्ध में वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस कारण जैर अपील निर्णय अपास्त योग्य है। तनकी संख्या 2 आबादी भूमि के सम्बन्ध में है, उस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्मित समस्त तनकीयात को विधि विरूद्ध रूप से विनिश्चित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जावे एवं जैर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned by CamScanner

निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 120, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 1198, डी0एन0जे0 2009 (एस.सी.) पेज 232 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील निर्णय पारित होने के 8 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है, जो स्पष्टतया मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा मियाद के बिन्दु पर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। जैर अपील वादस्थ भूमि में से खसरा नम्बर 21 की भूमि पुराने रेकर्ड अनुसार भारत सरकार एवं नगरपालिका के नाम दर्ज थी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 22 नगरपालिका का कुंआ के रूप में एंव खसरा नम्बर 23 सिवायचक के रूप में दर्ज रेकर्ड थी। अपीलाण्ट उक्त भूमि अपनी खातेदारी एवं कब्जासुदा होना बताते है, जबकि अपीलाण्ट के पिता को उक्त भूमि का आवंटन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है। मात्र स्टाम्प पर लिखा है कि आवंटन किसी दूसरी भूमि पर हुआ है तथा कब्जा किसी दूसरी भूमि पर है। अपीलाण्ट के पिता सर्किट हाऊस में व्यवस्थापक थे, जिन्होने विधि विरूद्ध रूप से उक्त देलवाडा में भूमि आवंटित करवाई है, जबकि नामान्तरकरण साली गांव का भरवाया है, जबकि उक्त भूमि सी0पी0डब्ल्यू0डी0 की थी, जहां मौके पर डाक बंगला बना हुआ है। उक्त भूमि अपीलाण्ट के पिता को कभी भी आवंटित नहीं हुई। इन समस्त तथ्यों तथा वर्तमान एवं पुराने राजस्व रेकर्ड को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में विवादित खसरा नम्बर 21 रकबा 3 बीघा भूमि को लेकर विवाद है, जिसे अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि होना बताते है, वहीं रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि को स्वयं के स्वामित्व की बता रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट्स को दखल अन्दाजी से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 21 की भूमि स्वयं के स्वामित्व की तथा खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned by CamScanner

नम्बर 22 की भूमि नगरपालिका की एवं खसरा नम्बर 23 की भूमि सरकारी भूमि होना जाहिर किया। उभयपक्ष के अभिचवनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 12 तनकीयात कायम की। उक्त समस्त तनकीयात को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जैर अपील निर्णय में विनिश्चित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्श–2 दस्तावेज भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी आज्ञा की प्रति है, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 21, 22 23, 23/494, 23/495 की भूमि अपीलाण्ट के पिता मदनलाल के नाम गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में यह भूमि अपीलाण्ट के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदारी दर्ज हुई, जो वर्तमान रेकर्ड के अनुसार भी गैर खातेदारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय दस्तावेजात् को दृष्टिगत रखते हुए तनकीयात विनिश्चित कर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 17/1983 (45/1997) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2008 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न की जावे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद इस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

Scanned by CamScanner